Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 34/2019

Jahangir & Anr ..... Appellants.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	20.07.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई, कटिहार द्वारा BLDR वाद सं0–57/2018–19 में दिनांक–05.02.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु एक पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–निखरा, थाना सं0–229, खाता सं0–50, खेसरा सं0–81, रकवा–08 डी0 विवादित भूमि है जिसपर उत्तरवादी द्वारा निम्न न्यायालय में बंदोबस्ती के आधार पर दावा करते हुए उक्त वाद दायर किया गया था। अपीलार्थी द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित करते हुए स्पष्ट किया गया कि मौजा–निखरा दो राजस्व थानों यथा थाना सं0–229 एवं थाना सं0–230 में विभक्त है। प्रश्नगत खाता, खेसरा की भूमि सिलिंग अंतर्गत अधिशेष घोषित नहीं है बल्कि उक्त भूमि सरयुग प्रसाद भगत के नाम दर्ज है। सिलिंग वाद सं0–50/1973–74 अंतर्गत सरयुग प्रसाद भगत के खाता सं0–17, खेसरा सं0–81, रकवा–83 डी0 भूमि गजट सं0–40 दिनांक–01.01.1987 द्वारा अधिशेष घोषित करते हुए अधिग्रहित की गई। उत्तरवादी के पक्ष में बंदोबस्त भूमि इसी खाते की है। प्रश्नगत खाता, खेसरा से 16 डी0 भूमि मो0 ताहिर द्वारा विक्रय संलेख के माध्यम से वर्ष 1961 में अब्दुल जब्बार के पास बिक्री की गई। अब्दुल जब्बार की मृत्यु उपरांत उनके पुत्र अपीलार्थीगण उक्त भूमि पर दखलकार हैं एवं भू–लगान भुगतान कर रहे हैं जिसकी जमाबंदी सं0–140 दर्ज है। जबकि उत्तरवादियों द्वारा गलत एवं जाली जमाबंदी सं0–03 दर्ज कराई गई है। निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों पर बिना विचार किये ही इनके विरूद्ध आदेश पारित किया गया है जो सही नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के पूर्वज बीबी हफीजन को अन्य भूमि बंदोबस्त की गई है जो प्रश्नगत खाता, खेसरा से भिन्न है। जमाबंदी सं0–140 अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज है। प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के पिता को केवाला के माध्यम से प्राप्त है जिसपर ये शांतिपूर्ण दखलकार हैं। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील कालबाधित होने एवं तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। प्रश्नगत भूमि	

Web Copy. Not Official.

		बंदोबस्ती वाद सं0–135C/1976–77 के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार द्वारा बीबी हफीजन के पक्ष में बंदोबस्त करते हुए परवाना निर्गत किया गया है। उत्तरवादी सं0–02 बीबी हफीजन की पुत्री एवं 03 तथा 04 बीबी क्रमशः	
	लगातार 20.07.2023	हफीजन की अन्य पुत्री शैमून निशा एवं हैबून निशा के वारिसान हैं। बंदोबस्त कुल–16 डी0 भूमि पर ये शांतिपूर्ण दखलकार रहते हुए भू–लगान भुगतान कर रहे हैं। अपीलार्थी असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर इनकी भूमि पर अतिक्रमण करने लगे। फलतः इनके द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए अंचलाधिकारी, कदवा को विवादित भूमि का नापी कराकर अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने का आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत् एवं न्यायोचित है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर विक्रय संलेख के आधार पर एवं उत्तरवादी द्वारा बंदोबस्ती के आधार पर दावा किया जा रहा है। निम्न न्यायालय आदेश अभिलेख में संलग्न कागजातों से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में अधिनियमानुसार राज्य सरकार एक आवश्यक पक्षकार है जिनके पक्षों की सुनवाई किया जाना अनिवार्य है। किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। अतः उपरोक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। साथ ही प्रस्तुत मामले को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरारी, कटिहार के समक्ष प्रतिप्रेषित (Remand) करते हुए निदेश दिया जाता है कि संबंधित सभी पक्षकारों सहित राज्य सरकार के पक्षों की सुनवाई करते हुए निर्धारित समय सीमा अंतर्गत विधिसम्मत् एवं मुखर आदेश पारित करेंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय में भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy, Not Official.

Web Copy. Not Official.